बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

अधिसूचना

अ०स० :–2/अ0प्र0–1–84/2018 1009 /पटना, दिनांक :– 8.6.22

श्री अजीत कुमार दास, तत्कालीन सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बारसोई सम्प्रति सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, किशनगंज–2 के विरूद्ध कार्य प्रमंडल, बारसोई अंतर्गत दो पथों यथा आदमपुर हाट से बारसोई सीमा भाया आदमपुर टोला एवं सुपन दास के घर से धमुआ हाट बारसोई सीमा भाया फतेहपुर पूरब टोला पथ अनुरक्षण अवधि में रहने के बावजूद अनुरक्षण का कार्य नहीं कराने, जिसके चलते इन पथों की स्थिति दिन–प्रतिदिन खराब होने संबंधी आरोपों पर आरोप पत्र गठित कर विभागीय पत्रांक 2168 अनु0 दिनांक 19.07.2019 द्वारा श्री दास से स्पष्टीकरण की मांग की गयी।

2. श्री दास के पत्रांक शून्य दिनांक 31.08.2020 द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की समीक्षा अधीक्षण अभियंता, गुणवत्ता प्रबंधन से करायी गयी। अधीक्षण अभियंता, गुणवत्ता प्रबंधन द्वारा यह मंतव्य दिया गया कि श्री दास द्वारा अपने स्पष्टीकरण में यह तर्क दिया गया है कि पथ बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त हुए थे तथा अनुरक्षण कार्य नहीं करने के लिए श्री दास द्वारा यह कहते हुए मात्र संवेदक को जिम्मेवार ठहराने का प्रयास किया गया है कि संवेदक FDR के तहत अधिक भुगतान की मांग कर रहे थे। यह गैर–जिम्मेदाराना रवैया है, जिसे किसी तरह उचित नहीं ठहराया जा सकता है। इस आलोक में श्री दास का स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं होने का मंतव्य अधीक्षण अभियंता, गुणवत्ता प्रबंधन द्वारा दिया गया।

3. उक्त के आलोक में मामले की समग्र समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त पाया गया कि मामले से संबंधित जॉच प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत पथ बाढ़ से प्रभावित हुए थे तथा अनुरक्षण अवधि में थे। यह सत्य है कि आलोच्य पथ बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुए थे, किन्तु अनुरक्षण अवधि में होने के कारण अनुरक्षण कराया जाना था, जो नहीं कराया गया। श्री दास द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य यथा संवेदक को लिखित रूप से अनुरक्षण कार्य किये जाने हेतु निदेशित करने का साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतएव अनुरक्षण कार्य नहीं कराने के लिए श्री दास, सहायक अभियंता दोषी हैं।

4. अतः उक्त के आलोक में श्री अजीत कुमार दास, तत्कालीन सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बारसोई सम्प्रति सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, किशनगंज–2 के स्पष्टीकरण को अस्वीकृत करते हुए इनके विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (यथा समय–समय पर संशोधित) के नियम 14(i) के तहत निम्न दंड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है :–

(i) निन्दन (आरोप वर्ष 2017–18)

प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
07.06.22
(कृष्ण मोहन सिंह)
उप सचिव

Phone-0612-2545191 Fax-0612-2545322, Website :-http://rwd.bih.nic.org, E-mail:secretaryrwdbihar@gmail.com,&secy-reo-bih@nic.in
E:/2021/Punishment

ज्ञापांक :– 2/अ0प्र0–1–84/2018 1010 /पटना, दिनांक :– 8.6.22

प्रतिलिपि:– प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उप सचिव

ज्ञापांक :– 2/अ0प्र0–1–84/2018 1010 /पटना, दिनांक :– 8.6.22

प्रतिलिपि:– अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, जल संसाधन विभाग/पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/योजना एवं विकास विभाग/ग्रामीण विकास विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/जल संसाधन विभाग/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, पूर्णियाँ/किशनगंज/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बारसोई/किशनगंज–2/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–5, ग्रामीण कार्य विभाग/आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना एवं श्री अजीत कुमार दास, तत्कालीन सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बारसोई सम्प्रति सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, किशनगंज–2 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उप सचिव